



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 168359

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26957 / 2026

दुष्यंत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : औशिम लूथरा, सैयद इमरान इब्राहिम

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, किरण तिवारी, महेश चन्द्र तिवारी

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. अभियुक्त-आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीष तेवारी, जिनकी सहायता श्री औशिम लूथरा एवं श्री सैयद इमरान इब्राहिम, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, सूचनादाता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. श्रीवास्तव, जिनकी सहायता श्री महेश चन्द्र तिवारी, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं, को सुना गया।

1ए. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अनुपूरक शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया।

1बी. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त-दुष्यंत द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 218/2026, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना-एकता, जनपद-आगरा में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.05.2026 को घटना के एक घायल व्यक्ति द्वारा दिनांक 15.05.2026 को सायं 05:00 बजे हुई घटना के संबंध में दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन नामजद व्यक्तियों तथा 8-10 अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है, किंतु अभियुक्त/आवेदक का नाम उसमें नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कॉलोनी में पार्किंग को लेकर विवाद था। अभियुक्त/आवेदक, सह-अभियुक्त तथा दो घायल व्यक्ति, अर्थात् सूचनादाता एवं उसका भाई धर्मेन्द्र, एक ही सोसायटी के निवासी थे, जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति सुभाष किसी अन्य स्थान का निवासी था। आरोप है कि पार्किंग विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद लाठी तथा कुल्हाड़ी से मारपीट की गई। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि तीन व्यक्तियों को नामजद किया गया था, जिनमें अभियुक्त/आवेदक का भाई भी शामिल था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र में अभियुक्त/आवेदक तथा उसके भाई रविन्द्र राजपूत को नामजद किया गया है, जबकि उसी सोसायटी के निवासी अन्य अभियुक्त महावीर एवं जवाहर के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि सूचनादाता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अपने कथन में उनका नाम नहीं लिया है। जबकि अभियुक्त/आवेदक, जो सूचनादाता/घायल व्यक्ति से भली-भांति परिचित है, का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, किंतु बाद में उसे अभियुक्त बनाया गया। आगे प्रस्तुत किया गया कि तीन व्यक्तियों को चोटें आई थीं। घायल/सूचनादाता को साधारण चोटें आई थीं तथा घायल/सूचनादाता के भाई धर्मेन्द्र को भी साधारण चोटें आई थीं। एक अन्य घायल सुभाष को चार चोटें आई थीं, जिनमें से एक गंभीर प्रकृति की थी, जो खोपड़ी की हड्डी में बहु-खंडीय फ्रैक्चर थी। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 13 व्यक्तियों को मारपीट करने की भूमिका सौंपी गई है, किंतु उन चोटों को वास्तव में किस व्यक्ति ने पहुंचाया, यह स्पष्ट नहीं है। अभियुक्त/आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप-पत्र प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जा चुका है। अभियुक्त-आवेदक दिनांक 09.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। अतः उसने जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के पिता के स्वामित्व वाली स्कॉर्पियो कार घटनास्थल पर आई थी, जिसमें अभियुक्त/आवेदक भी सवार था और वह स्वयं भी हमलावरों में से एक था। आगे प्रस्तुत किया गया कि घायल सुभाष कोमा में है और वह अपना कथन देने की स्थिति में नहीं है। तथापि, विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि दो घायल गवाहों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अपने कथनों में अभियुक्त/आवेदक का नाम पहले ही लिया है। अभियुक्त/आवेदक को विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।

5. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान में रखते हुए मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त/आवेदक का नाम नहीं है, जबकि वह घायल/सूचनादाता से भली-भांति परिचित है, तथा चोटों की प्रकृति एवं संख्या और प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को छोड़कर आरोपित 14 अभियुक्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त/आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. अतः मामले के गुण-दोष को प्रभावित किए बिना, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. अभियुक्त/आवेदक को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 एससीसी 674]** तथा पुनः जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति **[(2024) 10 एससीसी 685]** में प्रतिपादित सिद्धांतों में की गई टिप्पणियों के आलोक में पारित किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अभियुक्त-आवेदक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

दिनांक : 11 अगस्त, 2026

अभिषेक श्री

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।